(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2024

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2024/23

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपक जैन पुत्र बहादुर मल जैन उम्र 42 वर्ष जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 10 बह्मपुरी मोहल्ला छबडा जिला बारॉ राज. (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स–पारस किराना स्टोर, सालपुरा रोड बस स्टेण्ड छबडा जिला बारॉ
2. मैसर्स–पारस किराना स्टोर, सालपुरा रोड बस स्टेण्ड छबडा जिला बारॉ (राज.)
3. श्री शिखर चन्द पुत्र श्री अमर चन्द निवासी– बाहरी दरवाजा, वार्ड नं0 8 छबडा जिला बारॉ। मैसर्स– शिखर चन्द, विमल कुमार वार्ड नं0 8 बाहरी दरवाजा छबडा जिला बारॉ।
4. मैसर्स– शिखर चन्द, विमल कुमार वार्ड नं0 8 बाहरी दरवाजा छबडा जिला बारॉ।
5. श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र निवासी– ख–52, भवानी नगर, मुरलीपुरा विद्यालय के सामने, सीकर रोड डेहर के बालाजी जयपुर राज. 302039 मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट, ए–4 मोहित नगर सरना डूंगर रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा एक्सटेन्शन जयपुर (राज.) 302012
6. मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट, ए–4 मोहित नगर सरना डूंगर रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा एक्सटेन्शन जयपुर (राज.) 302012

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी कम 1,2,3,4)
3– श्री नमोकार जैन कम्पनी प्रतिनिधी (अप्रार्थी कम 5 व 6)

निर्णय दिनांक 18.04.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2023 को मैसर्स– पारस किराना स्टोर, सालपुरा रोड बस स्टेण्ड छबडा जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुर मल जैन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया [illegible] आम जनता को विकय हेतु **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल पॉली पैक** लगभ[illegible]0 [illegible]0 रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से [illegible] **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल गत्ते पैक** में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल पॉली पैक के 04 पैकिट** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री सुनिल गालव पुत्र श्री देवकीनन्दन ब्राहमण (विक्रेता एवं मालिक) को 1240/– रूपये (अक्षरे एक हजार दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल पॉली पैक के 04 पैकिट** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1892 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1892 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सुनिल गालव पुत्र श्री देवकीनन्दन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/372 दिनांक 10.08.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1337/PHL/Kota/Act/2023/1342 दिनांक 08.08.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल पॉली पैक अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि दिनांक 25.07.2023 को पार्थ किराना स्टोर्स खेडलीगंज अटरू के यहॉ से एक नमूना कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) का लिया गया था, उक्त नमूने की जॉच रिपोर्ट मे नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया, उक्त नमूने मे बाउडोयूइन टेस्ट पोजेटिव पाया गया है, जबकि इसे नेगेटिव होना चाहिये [illegible] इस कारण से सब स्टेण्डर्ड माना गया है। एफएसएस एक्ट के अन्तर्गत वनस्पति घी मे बाउडोयून टेस्ट [illegible] किया जाता है, उक्त टेस्ट तभी किया जाता है जब उसमे ग्राउण्ड नट ऑयल हो। उक्त वनस्पति मे ग्राउण्ड नट ऑयल का प्रयोग नही किया गया है इसलिए उक्त जॉच नही की जानी चाहिये थी। कानून मे भी यही प्रावधान है। यह कि यह नमूना सिलपेक भरा गया था यानि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का उसमे कोई रोल नही है, जैसा माल कम्पनी से आया था वैसा ही बैचान किया गया था। उक्त नमूने मे जो टेस्टिंग की गई है वह गलत रूप से की गई है इसलिए इससे अप्रार्थीगण को दोष मुक्त किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1337/PHL/Kota/Act/2023/1342 दिनांक 08.08.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया **कुकिंग मिडियम (गौरी किचन स्पेशल) 900 एम0एल0 मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1186/PHL/Kota/Act/2023 /1191 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.04.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested